



प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
14/01/02	21/01/02	22/3/02	27/3/02	27/3/02

**बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 छोटानागपुर टिन्सो अधिनियम  
1969 अधीन भूमि वापसी के लिये आवेदन- पत्र**

सेवा में,

उपायुक्त महोदय, द्वारा डी. सो. एल. आर. सह विशेष कार्य  
पदाधिकारी एस. ए. आर. सिमडेगा ।

- आवेदक का पूरा ब्यौरा :-
  - १११ बिलियम मुण्डा
  - १२१ गाब्रेल मुण्डा
  - १३१ सिलास मुण्डा पिता का नाम:- स
  - १४१ पियुस मुण्डा लोहरा मुण्डा
- ग्राम- सलडंगा टांगरो टालो अंचल- सिमडेगा  
अनुमंडल- सिमडेगा जिला- गुमला ।

- क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं
- वापस ली जानेवाली जमीन का पूर्ण विवरण :-

पंजीकृत नं. 1  
१ दिनांक

खता नं०	खेसरा नं०	रकबा	राजस्व नं०
30	1705	0.15 एकड़	

ग्राम- सलडंगा टांगरो अंचल- सिमडेगा अनुमंडल- सिमडेगा जिला- गुमला  
टालो

- जिस व्यक्ति की दखल में जमीन है उसका पूरा विवरण :-

नाम :- १।१ कमल केशोर प्रसाद पिता- श्री राम लाल साहू  
१।१ बलराम प्रसाद अंचल- सिमडेगा  
अनुमंडल- सिमडेगा जिला- गुमला ।



: 2 :

5. वापस ली जाने वाली जमीन का विवरण :- पूर्ण विवरण नीचे पैरा 8 में  
कई जमीन के अन्तरण की तिथि :- 40 वर्ष पूर्व  
कई क्या जमीन के अन्तरण/ निबंधित/ विक्रय पर <sup>आजरी</sup> रकम सेल डीडी/बैंक/स  
ठेका आदि के द्वारा किया गया है। यदि हां तो उसका पूरा विवरण  
दे :- x

कई क्या जमीन के हस्तांतरण में उपायुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त की गयी  
थी। यदि हां तो उसका क्र. नं० ----- और तारीख-----

कई क्या जमीन का हस्तांतरण छल या प्रपंच या नाजायज तरीके से किया  
गया है। यदि हां तो उसका संक्षिप्त विवरण :- नाजायज तरीके से

6. वापस ली जाने वाली जमीन का वर्तमान स्थिति :- कमलदिशोर प्रसाद  
व बलराम प्रसाद

कई उस जमीन पर पक्का मकान आदि <sup>बन</sup> हैं तो यदि हां तो उसके  
बनने की तारीख एवं उसका अनुमानित मूल्य :- 25000/=

7. अन्यान्य संबंधी सूचनाएँ यदि हो तो :-

8. जमीन का पूर्ण विवरण :-  
खता नं० खसरा नं० रकबा

30 1705 1515

चौहदारी :- उ. सड़क  
द. नोज  
पू. प्रतिमा देवी का मकान  
पं. सुरजमती " "

ठे. नि. गाद्रेल मुण्डा

ठे०. नि. बिलयम मुण्डा


ठे. नि. सिलास मुण्डा

ठे. नि. पियुस मुण्डा

आवेदक का <sup>प्रसा</sup> हस्ताक्षर

पति   
हस्ताक्षर

गणेश प्रसाद  
1982 के अक्टूबर 10  
वाराणसी द्वारा प्रेषित



न्यायालय श्रीमान् उप-समाहर्ता भूमि मुण्डार सह विशेष  
कार्य पदाधिकारी एस. ए. आर. सिमडेगा ।

वाद संख्या एस0 ए0 आर0 8/2000

विलियम मुण्डा वगै० ----- आवेदक

बनाम्

कमल किशोर प्रसाद वगै०----- विपक्षी

उपयुक्त वाद में विपक्षी {क} कमल किशोर प्रसाद  
{ख} बलराम प्रसाद पिता श्री राम विलास साहू  
मौजा सलडेगा टांगरी टाली, थाना- सिमडेगा  
जिला- गुमला झारखण्ड के ओर से सादर निवेदन  
है :-

§1§ यह कि, हुजूर ने हमें नोटिस दिया है कि मौजा सलडेगा  
टांगरी टाली थाना सिमडेगा जिला- गुमला के छाता नं० 30 प्लॉट  
नं० 1705 रकबा ~~15~~ 15 डिसमिल की बारीक- बिक्री छाटानागपुर  
कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के विरुद्ध हुआ है । अतः उक्त जमीन  
का क्या नहीं विपक्षी से आवेदक को वापस किया जाय ।

§2§ यह कि, उक्त जमीन को हमारे पिता श्री राम विलास साहू  
करीब 40 वर्ष पूर्व 4000/= रुपये में मौखिक रूप से आवेदक के पिता स्व०  
लाहरा मुण्डा से खरोदे हैं ।

§3§ यह कि, खरोदगी के बाद हमारे पिता ने उक्त जमीन पर  
काफी मेहनत वो खाई से घर- बारी बनाये हैं तथा उसी समय से उस पर  
सपरिवार रहते आये हैं । तथा वर्तमान में हम अर्थात् विपक्षी भी उसी  
मकान में साथ- साथ रहते हैं ।

विलियम मुण्डा

विलियम मुण्डा

21/3/00



: 2 :

§4§ यह कि, उक्त मकान बनाने में विपक्षी के पिता को करीब 25,000/= रुपये खर्च हुए हैं।

§5§ यह कि, उपयुक्त मुकदमा अवधि विधि- विधान से बाधित है, फिर भी मुकदमें की परेशानी से बचने के लिये उचित क्षतिपूर्ति देने को तैयार है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि विपक्षी को उक्त जमीन दो मकान से हटाया नहीं जाय, बल्कि उर् मुआवजा अदा करने का आदेश दिया जाय।

आइन्हे हज़ूर मालिक हैं।

सहो:- कमल किशोर प्रसाद

बलराम प्रसाद

₹ 312402


Adv.

7/11/52

पति  
की

27/3/52

महानगर सचिवालय  
1982 के अधिनियम  
द्वारा 88 द्वारा



न्यायालय श्रीमान् उप- समाहर्ता भूमि सुधार सह विशेष

कायें पदाधिकारी, एस० ए० आर०, सिमडेगा ।

वाद संख्या- एस० ए० आर० 8/2000

बिलियम मुण्डा वगै० ----- आवेदक

बनाम्

कमल किशोर प्रसाद वगै०----- विपक्षी

उपर्युक्त वाद में आवेदक बिलियम मुण्डा वो गाबरेल मुण्डा व सिलास मुण्डा व पियुस मुण्डा पिता सभी स्व० लोहरा मुण्डा मौजा सलडेगा थाना- सिमडेगा जिला- गुमला झारखण्ड के आर से सादर निवेदन है :-

द्वितीय कडा

द्वितीय कडा

§1§ यह कि, हमारे आवेदन पर उपर्युक्त वाद में हुजूर ने हमें नोटिस दिया है ।

§2§ यह कि, हम आवेदक अनुसूचित जनजाति के अन्तगत मुण्डा जनजाति के सदस्य हैं ।

§3§ यह कि, प्रश्नगत जमीन ग्राम सलडेगा टांगरी टोली, थाना सिमडेगा जिला- गुमला के अन्तगत खाता नं०- 30 प्लॉट नं० 1705 रकबा 15 डिसमिल है । जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है :- उत्तर- सड़क, दक्षिण- निज टांड, पूरब- प्रतिमा देवी का मकान, पश्चिम- सूरजमनी देवी का मकान ।

§4§ यह कि, प्रश्नगत जमीन की जमाबन्दी ठुठकु मुण्डा उपे टाकु



: 2 :

टाकू मुण्डा के नाम से हैं। हम उनके पोते हैं।

§5§ यह कि, हमारे पिता स्व० लोहरा मुण्डा से विपक्षी के पिता श्री राम बिलास साहू आज से करीब 40 वर्ष पूर्व मांछिक रूप से खरीदे थे।

§6§ यह कि, वर्तमान में विपक्षी प्रशकृत जमीन पर मकान बनाकर सपरिवार रहते हैं।

अतएव श्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षी से प्रशकृत भूमि के बराबर दूसरी भूमि आवेदकों को दी जाय अथवा उचित मुआवजा दिलाया जाय।

इस हेतु आवेदक श्रीमान का सदा आभारी रहेगा।

आइन्दे हुजूर मालिक है।

सही :- अरुण  
Adv.

7/11/2000

○ ठे. नि. गान्गल मुण्डा

○ ठे. नि. सिलास मुण्डा


○ ठे. नि. पियुस मुण्डा

ह०/- बिलयम मुण्डा

पक्षीय  
पक्षीय

पक्षीय  
पक्षीय

पक्षीय  
पक्षीय  
पक्षीय



: 3 :

8. 1. 01

गुजारी रसोच धाखिल किया गया ।

विपक्षीगणीं को ओर से कारण-पृच्छा  
धाखिल किया गया । अपने कारण- पृच्छा में  
विपक्षीगण द्वारा कहा गया है कि आवेदकों के पिता  
स्व0 लोहरा मुण्डा से 40 वर्षों पूर्व मौखिक घर बनाने  
के लिये खरोद किया है । विपक्षीगणीं का यह भी  
कहना है कि ~~40~~<sup>40</sup> वर्षों से अधिक हो चुका है इसलिये  
द्विवादित भूमि विधि- विधान से बाधित है ।  
प्रश्नगत भूमि नाजायज तरीकों, धोखाधड़ी या बेईमानी  
करके नहीं वरन् सही तरीकों से पूर्ण रूपेण होश-  
हवाश में मौखिक खरोद किया गया है ।

विपक्षी का दावा है कि प्रश्नगत भूमि पर 25  
हजार रुपये का मकान बना हुआ है । इसे तोड़ने में  
विपक्षी को आर्थिक क्षति होगी । विपक्षी को द्विवादित  
भूमि के अलावे उसके पास और कोई जमीन नहीं है ताकि  
वह बदले में आवेदक को दे सके । अतएव प्रश्नगत भूमि का  
उचित मुआब्जा भुगतान करने हेतु विपक्षी तैयार है ।

उभय पक्षों के विद्वा अधिवक्ताओं एवं सहायक सरकारी  
अधिवक्ता को सुना । आवेदकों को ओर से उनके विद्वा  
अधिवक्ता का कहना है कि आवेदकों को जमीन नाजायज  
रूप से विपक्षी द्वारा कब्जा किया गया है किन्तु आवेदकों  
को जमीन के बदले जमीन और न हो उचित मुआब्जा राशि  
भुगतान किया गया है । ~~अतः उचित मुआब्जा राशि भुगतान~~

पतिविक्रम 3:1  
रविशंकर

पतिविक्रम 3:1  
रविशंकर



: 4 :

8. 1. 01

किमा ~~प्राप्त~~ है। अतः उचित मुआवजा राशि भुगतान किया जाय।

द्विपक्षी को ओर से उनके विरुद्ध अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि को आवेदकों के पिता से घर बनाने हेतु मौखिक छरोद ~~किमा~~ है एवं घर बनाकर स्परिवार रहते चले आ रहे हैं। दखल को अवधि तीस वर्षों से अधिक हो चुकी है। अतः उक्त जमोन पर द्विपक्षीगण का प्रतिकूल दखल के आधार पर हकियत प्राप्त हो चुका है। द्विपक्षी को मकान बनाने में 25 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं। द्विपक्षीगणों के पास विवादित जमोन के अलावे और कोई जमोन नहीं है। ताकि वह आवेदकों को जमोन के बदले जमोन दे सके। ऐसी स्थिति में द्विपक्षीगण आवेदकों को उचित मुआवजा देने के लिये सहमत हैं।

सहायक सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि 30-35 वर्षों पहले अन्तरित भूमि 46 सो. एन. टी. के खिलाफ हुआ है अतः आवेदकों को उचित मुआवजा मिलना चाहिये।

आवेदकों को ओर से उनके कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदकों की छतियानो है। आवेदकों द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि आवेदकों के पिता द्वारा उनके जीवन-काल में ही द्विपक्षीगण के पिता को मौखिक रूप से बेच दिया है। द्विपक्षीगण प्रश्नगत जमोन पर उसी समय से दखलदार चले आ रहे हैं। किन्तु विवादित भूमि





8. 1. 01



भूमि का मुआवजा विपक्षीगण के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। अतः मुआवजा लेने के लिये आवेदकगण सहमत हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विपक्षीगण 40 वर्षों पूर्व मकान बना कर प्रशन्नत भू-खाण्ड पर दखलकार है जैसा कि स्वयं आवेदकों का कथन है।

अतः प्रशन्नत जमीन का मुआवजा वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर आवेदकों को मिलना चाहिये। बाजार मूल्य के आधार पर 0.15 ए.जमीन का मूल्य 3400 × 15 = 51,000.00 रु० प्रशन्नत जमीन का मूल्य निर्धारित किया जाता है। विपक्षीगणों का आदेश दिया जाता है कि आवेदकों को मो० 51,000=00 रु० मुआवजा भुगतान करें- मुआवजा भुगतान के उपरान्त जमीन पर विपक्षी का दखल सम्भुष्ट किया जायेगा।

लेखापित

EO/-अस्पष्ट

EO/- अस्पष्ट

8. 1. 01

8. 1. 01  
उप- समाहत्ता, भू० सु०  
सिमडेगा

उप-समाहत्ता, भू० सु०  
सिमडेगा।

Id. by :-  
SD/-Illegible  
6.2.01

हो पाया  
हो पाया

हो पाया  
हो पाया

हो पाया  
हो पाया

हो पाया  
हो पाया

51,000/-  
51,000/-



6.2.01

उभय पक्षों एवं सहायक सरकारी अधिवक्ता की हाजरी पड़ो है। विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत जमोन का मुआवजा राशि मो 51,000.00 एकावन हजार रुपये मात्र आवेदकों का नगद भुगतान किया गया। सहायक सरकारी अधिवक्ता भुगतान के समय उपस्थित थे भुगतान मेरे समक्ष किया गया। अतएव प्रश्नगत जमोन पर विपक्षीगण का दखल सम्पुष्ट किया जाता है।

प्रश्नगत जमोन का चौहददी उत्तर- सड़क दक्षिण- नीज, पूरब- प्रतिमा देवी का मकान एवं पश्चिम- सुरजमनी देवी का मकान है।

Identified L.T.I. and signature William Munda and L.T.I. There has son namely Gabriel Munda, Sillas Munda, and Pius Munda. before My present and Received compensation rupees 51,000/- Fiftyone thousand before me and there may be possession Kamal Kishore Prasad sd/-illegible. A.

₹ 0/- अस्पष्ट  
6.2.01

प्रमाणित किया जाता है कि  
प्रमाणित किया जाता है कि  
प्रमाणित किया जाता है कि

आवरण २६ २ = २  
अतिरिक्त २६ २ = २  
प्रमाणित किया जाता है  
कम्पा बनीतना खय 8 = 40  
अनुदेवन खय  
कविलिखि खय 14 = 40

कुल १५ = ८०

चीकीरय रूपके अस्सी हेरु मात्र

प्रधान जहायत




प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
14/01/02	21/01/02	23/03/02	27/3/02	27/3/02

न्यायालय श्रीमद् भूमि सुधार उप-समाहर्ता,

सिमडेगा ।

आदेश- पत्रक



अधिसूचना संख्या 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारीख 12.12.2000 से 6.2.2001 तक

जिला- गुमटा अधिसूचना सं- 8/2000- 2001

देश का प्रकार :- स. स. आर. एक्ट

विलियम मुण्डा वगैरह

बनाम

कमल किशोर प्रसाद वगैरह

आदेश की क्रम सं०	आदेश और फटाफटकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी बार
और तारीख		के बारे में टिप्पणी सहित तारीख

12.12.2000

उक्त पक्षों एवं महायुक्त सरकारी अधिवक्ता की हाजिरी पड़ी है । आवेदक द्वारा वागजात रखा गया ।

2.

वकील/अधिवक्ता  
8  
12.12.00

महोदय  
12/12/02  
12.12.00

उक्त पक्षों के बीच अधिवक्ता एवं महायुक्त सरकारी अधिवक्ता को सुना । आदेशाय 8.12.01 को ।

80/-उत्पत्त

12.12.00

8.1.01

आदेश आदेशाय उपस्थापित किया गया ।



8.1.1972

यह अभिलेख ११ श्री बिलियम मुण्डा १२१  
 श्री ~~मन्मथ~~ मुण्डा १३१ सिलास मुण्डा १४१ पियुस  
 मुण्डा पिता स्व० लोहरा मुण्डा ग्राम सलडेगा  
 टोंगरो टोली थाना सिमडेगा जिला गुमला के  
 द्वारा निम्नलिखित भूमि को वापसी हेतु बिहार  
 सिडयूल एरिया रेगुलेशन अधिनियम 1969 के तहत  
 नाजायज ढंग से अन्तरित भूमि को वापसी हेतु  
 दिये गये आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया  
 है ।

अपील का विवरण

मौजा	खाना नं०	प्लॉट नं०	रकबा <del>रकबा</del>
सलडेगा	30	1705	0.15 ए.
टोंगरो टोली			

आवेदक अपने आवेदन पत्र में इस आशय का  
 उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि को विपक्षी ११  
 श्री कमल किशोर प्रसाद १२१ श्री बलराम प्रसाद पिता  
 राम बिलास साहू ग्राम सलडेगा टोंगरो टोली थाना  
 सिमडेगा जिला गुमला के द्वारा नाजायज तरीके से  
 दखल बजा कर 40 वर्षों पूर्व से ही मजान बसाकर  
 कब्जे में लिये हुए है । आवेदकों का कहना है कि पिता  
 पिता स्व० लोहरा मुण्डा ने मौखिक रूप से विपक्षी को  
 बेच दिया है किन्तु मुआब्जा हमलों को मिलना  
 है । उतरव विवशगण हमलों को वापस वापस  
 अथवा उक्त भूमि राशि हमलों को मिलना  
 जान आवेदकों द्वारा अपने साक्ष्य में आगे आन हम

दिनांक : 1/1/72  
 अधिकारी